उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015

उत्तर प्रदेश शासन

गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग-1

संख्या 1694/6-पु-1-15-650(59)/2002 टी.सी.

लखनऊः दिनांकः 23 जुलाई, 2015

संख्याः 17/2016/2791/6-पु-1-16-650(59)/2002 टी.सी.

लखनऊः दिनांकः 19 अक्टूबर, 2016

प्रथमसंशोधननियमावली, 2016

संख्याः 10/2018/2783/6-पु-1-16-650(59)/2002 टी.सी.

लखनऊः दिनांकः 02 जुलाई, 2018

द्वितीय संशोधननियमावली, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5, सन् 1861) की धारा-2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी समस्त विद्यमान सरकारी आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक सेवा संवर्ग के सभी पदों के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का निर्धारण और स्थायीकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015

भाग-1 सामान्य

1-सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-सेवा की प्रास्थिति-

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक सेवा में उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुषांगिक संवर्ग हैं और जिसमें समूह ’ग’ के पद समाविष्ट हैं।

3-परिभाषाएं-

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमवाली में:-

(क) ‘‘अधिनियम’’ का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) ’’नियुक्ति प्राधिकारी’’ का तात्पर्य- सहायक उप निरीक्षक के पद के लिए पुलिस अधीक्षक एवं उप निरीक्षक व निरीक्षक के पद के लिए अपनी-अपनी अधिकारिता में पुलिस उप महानिरीक्षक से है;

(ग) ‘‘बोर्ड’’ का तात्पर्य इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से है;

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
(ङ) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए;
(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;
(छ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
(ज) ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है;
(झ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत सरकारी आदेशों के अधीन पहले से नियुक्त व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे;
(ञ) ''नागरिको के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;
(ट) ''पुलिस मुख्यालय'' का तात्पर्य मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ या उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है;
(ठ) ''चयन समिति'' का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति से है;
(ड) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिपिक वर्गीय सेवाओं में लिपिक संवर्ग, लेखा संवर्ग एवं गोपनीय सहायक संवर्ग से है;
(ढ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हों और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्य पालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;
(ण) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि से है;

भाग-2 संवर्ग

4-सेवा का संवर्ग-

उत्तर प्रदेश पुलिस के लिपिकीय सेवाओं में निम्नलिखित संवर्ग होंगेः-
(1) लिपिक संवर्ग।
(2) लेखा संवर्ग।
(3) गोपनीय सहायक संवर्ग।

5-संवर्गों का गठन एवं संख्या

(1) नियम-4 में निर्दिष्ट संवर्गों की संख्या और उसमें श्रेणियों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
(2) इन संवर्गो का गठन एवं संख्या निम्नवत होगी:-

(क) लिपिक संवर्ग

1. पुलिस निरीक्षक (लिपिक)	92
2. पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक)	678
3. पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)	1560

(ख) लेखा संवर्ग

1. पुलिस निरीक्षक (लेखा)	37

2. पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) 276

3. पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) 585

(ग) गोपनीय सहायक संवर्ग

1. पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) 247

2.पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) 540

(3) राज्यपाल किसी ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल किसी रिक्त पद को प्रास्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

भाग-3 भर्ती

6-भर्ती का स्रोत-

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

(क) **लिपिक संवर्ग**

पुलिस निरीक्षक (लिपिक)-

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) में से अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक)-

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) में से अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)-

(क) अस्सी प्रतिशत पदोंको नियम-17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

टिप्पणी- सेवाकाल में पुलिस विभाग के मृतक कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के पद पर मृतक आश्रित के रूप में प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती द्वारा पूर्व स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्पन्न हुई रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(ख) बीस प्रतिशत पदों को मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में से परिशिष्ट में विहित प्रक्रिया के अनुसार विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने,:-

(एक) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;

(दो) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 50 वर्ष से अधिक आयु पूरी न की हो;

(तीन) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को सीधी भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट अन्य समस्त अर्हता रखता हो;

परन्तुक यह कि यदि समूह 'घ' के कर्मचारियों में से उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो इन रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

(ख) **लेखा संवर्ग**

पुलिस निरीक्षक (लेखा)-

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

पुलिस उप निरीक्षक (लेखा)-

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा)-

शत-प्रतिशत पदों को नियम-17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणी- सेवाकाल में पुलिस विभाग के मृतक कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पद पर मृतक आश्रित के रूप में प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती द्वारा पूर्व स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्पन्न हुई रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(ग) **गोपनीय सहायक संवर्ग**

पुलिस निरीक्षक (गोपनीय)-

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय)-

शत-प्रतिशत पदों को नियम-17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणी- सेवाकाल में पुलिस विभाग के मृतक कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर मृतक आश्रित के रूप में प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती द्वारा पूर्व स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्पन्न हुई रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

7-आरक्षण-

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (महिला अभ्यर्थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, खिलाड़ी एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार और बोर्ड द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। राष्ट्रीय और राज्य स्तर खिलाड़ियो का आरक्षण बोर्ड द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति इस नियमावली के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

8-संक्रमणकालीन प्रावधान-

(1) आरक्षी (लिपिक) या सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति जो वर्तमान में लिपिक शाखा या लेखा शाखा में शासनादेश संख्याः 4907/VIII-650(4)/75 दिनांकः 09 फरवरी, 1976 एवं पुलिस मुख्यालय के अर्द्धशासकीय परिपत्र संख्याः 18-115-76, दिनांक 25 अक्टूबर,. 1977 में वर्णित पूर्व के किन्हीं पाँच सवंर्गो में शासनादेश संख्याः 7252/ VIII-क-94/66, दिनांकः 06 सितम्बर, 1966 में वर्णित किसी भी पद को धारण कर रहा हो, को इस नियमावली के गजट में प्रकाशन की तिथि से नव निर्मित लिपिक संवर्ग अथवा लेखा संवर्ग में क्रमशः सम्मिलित समझा जायेगा।

परन्तु यह कि कोई कर्मी जो नवसृजित लिपिक संवर्ग अथवा लेखा संवर्ग में सम्मिलित माना गया है, यदि उसे नवसृजित संवर्ग आवंटन के संबंध में कोई शिकायत है तो इस नियमावली के गजट में प्रकाशन की तिथि

से 30 दिन के अन्दर अपने संवर्ग के परिवर्तन के लिए प्रत्यावेदन विभागाध्यक्ष को दे सकता है। विभागाध्यक्ष लिपिक संवर्ग एवं लेखा संवर्ग के ऐसे सभी कर्मियों की जिन्होंने निर्धारित समय में अन्य संवर्ग में जाने के संबंध में अपना प्रत्यावेदन दिया है उनकी पदवार प्रत्येक पद की ज्येष्ठता सूची तैयार करेंगे और ज्येष्ठता के अनुसार अधिक से अधिक कर्मियों का यथासम्भव समायोजन इस शर्त के साथ करेगें कि प्रत्यावेदन निस्तारण के पश्चात प्रत्येक संवर्ग में प्रत्येक पद पर कर्मियों की उपलब्धता समानुपातिक रूप से दोनों संवर्गो में बनी रहे।

(2) शासनादेश संख्या: 7252/ VIII-क-94/66 दिनांक:06 सितम्बर, 1966 में वर्णित केवल उप निरीक्षक (लिपिक)/आशुलिपिक के पद पर नियुक्त तथा शासनादेश संख्या: 4907/ VIII/650(4)/75 दिनांक:09 फरवरी, 1976 के अनुसार पाँच संवर्गो में कार्यरत कर्मी इस नियमावली के अधीन गोपनीय सहायक संवर्ग में गठित किये जायेंगे।

भाग-4 अर्हता

9- राष्ट्रीयता- सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा (म्यांनमार), श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, उगांडा तथा यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रव्रजन किया हो:-

परन्तु यह कि श्रेणी (ख) व (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें:-

परन्तु अग्रतर यह कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें:-

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का चयन के बाद नियुक्ति तभी की जायेगी जब अपेक्षित प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

10- सीधी भर्ती हेतु आवश्यक अर्हताएं

(1) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता;

(ख) कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित किया जाये);

(ग) डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में ''ओ'' स्तर का प्रमाण पत्र।

(2) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा)

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखाशास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता;

(ख) कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित किया जाये);

(ग) डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर मे ''ओ'' स्तर का प्रमाण पत्र।

(3) पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता;

(ख) कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित किया जाये);

(ग) न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि श्रुतलेख;

(घ) डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र।

11- अधिमानी अर्हता-

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः-

(1) डोएक/नाइलिट सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरणया सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर एप्लीकेशन/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता प्राप्त किया हो;

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो;

(3) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो;

(4) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

12-आयु-

सभी पदों में सीधी भर्ती के लिये जिस कलैन्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियॉ प्रकाशित की जाय, उसकी जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो;

परन्तुक यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियो के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विर्निदिष्ट की जाय।

13-चरित्र-

किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणीः- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे। नैतिक अद्यमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

14-वैवाहिक प्रास्थिति-

ऐसा कोई पुरूष /स्त्री-

(क) जिसने किसी ऐसी स्त्री/पुरूष से विवाह किया हो जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हो, या

(ख) जिसकी पति/पत्नी जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री/ पुरूष से विवाह किया हो, उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि विवाह हेतु ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्ष के लिये लागू पर्सनल लॉ के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार है तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

15-शारीरिक स्वस्थता-

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कत्र्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्त के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय।

टिप्पणीः- चिकित्सा बोर्ड नाक-नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस (पार्सियल एवं टोटल), श्रवण परीक्षण, जैसी कमियों इत्यादि का भी परीक्षण करेगा।

भाग-5 भर्ती हेतु प्रक्रिया

16-रिक्तियों की अवधारणाः-

नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष,रिक्तियों की संख्या बोर्ड एवं सरकार को भी सूचित करेगा तत्पश्चात बोर्ड द्वारा निम्नलिखित रीति से रिक्तियाँ अधिसूचित करेगाः-

(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/ दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा;

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित करके; और

(चार) जनसंचार के अन्य माध्यमों द्वारा।

17-सीधी भर्ती की प्रक्रियाः-

(क) आवेदन पत्र एवं बुलावा पत्र

कोई अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा। बोर्ड, केवल आनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार करेगा। विभागाध्यक्ष, बोर्ड से परामर्श करके किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत करेगा। आवेदन पत्र भरे जाने एवं बुलावा पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा अवधारित किया जायेगा एवं इसे वेबसाइट पर प्रदर्शित अथवा अधिसूचना में प्रकाशित किया जायेगा।

सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी क्रम पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

(ख) लिखित परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जायं, से 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस लिखित परीक्षा में, बोर्ड द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, चार निम्नलिखित विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगाः-

विषय	अधिकतम अंक
1. सामान्य हिन्दी /कम्प्यूटर ज्ञान	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
2. सामान्य जागरूकता / सामयिक विषय	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
4. मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित कराये जाने हेतु अपने स्तर से विनिश्चय करेगा। लिखित परीक्षा के लिये विस्तृत प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी अथवा अधिसूचना में प्रकाशित की जाएगी।

(ग) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा

खण्ड (ख) के अधीन लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड, श्रेष्ठता के आधार पर इस परीक्षा के लिये बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को अपने स्तर पर विनिश्चित करेगा। अभ्यर्थियों हेतु शारीरिक मापदण्ड निम्नलिखित हैः-

1- पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैः-

(क) ऊँचाई:

(एक) सामान्य/अन्य पिछडे वर्गो और अनुसूचित जाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 163 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 156 सेन्टीमीटर है।

(ख) सीनाः

सामान्य/अन्य पिछडे वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।

टिप्पणीः- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

2- महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैः-

(क) ऊँचाई:

(एक) सामान्य/अन्य पिछडे वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 150 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 145 सेन्टीमीटर है।

(ख) वजन:

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

इस परीक्षा को संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई डिप्टी कलक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। अपेक्षानुसार बोर्ड के अनुरोध पर समिति के शेष सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

इस परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या अधिसूचना में प्रकाशित की जायेगी।

कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से संतुष्ट न हो, परीक्षा के पश्चात उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसी समस्त आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते है, को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में अग्रतर कोई अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

(घ) कम्प्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा

भाग (ग) के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थी से अर्हकारी प्रकृति की कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। कम्प्यूटर टंकण की अर्हकारी गति अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद के अनुसार होगी। अभ्यर्थी को हिन्दी टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। केवल वही अभ्यर्थी, जिनके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद हेतु आवेदन किया गया है और उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर टंकण में उत्तीर्ण होते हैं, आशुलिपिक परीक्षा में सम्मिलित होगें, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। परीक्षा हेतु प्रक्रिया को बोर्ड द्वारा विनिश्चित कर अपनी बेवसाइट पर प्रदर्शित अथवा विज्ञप्ति में प्रकाशित किया जाएगा।

(ड.) चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची

ऐसे अभ्यर्थियोंमें से जिन्होंने कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की है और ऐसे अभ्यर्थियों में सेजिन्होंने उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद हेतु आवेदन किया है और आशुलिपिक परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के आधार पर, प्रत्येक पद के लिये आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तियों के अनुसार के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों सहित ऐसे समस्त अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष, बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

टिप्पणीः- यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो उनकी ज्येष्ठता का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगाः-

(1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता (नियम-11 में कथित क्रम के अनुसार), यदि कोई हो, रखते हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

(2) भले ही यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान की जायेगी।

(3) यदि उपरिलिखित के वावजूद भी, एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।

(च) चिकित्सा परीक्षण

ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके नाम खण्ड (ड.) के अनुसार चयन सूची में हों नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा हेतु सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के संचालन हेतु सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा

अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिषद का गठन किया जायेगा जिसमें 03 चिकित्सक रखे जायेंगे जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये ''पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र'' के अनुसार अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षा करेगा। कोई अभ्यर्थी अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो, वह स्वयं परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी स्वयं अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक पर अपील करने में असफल रहता है तो चिकित्सा परीक्षा से सम्बन्धित किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा। अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में सम्बन्धित आवेदक के चिकित्सा दोष का विशेषज्ञ होगा। चिकित्सा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेंगे। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा।

(छ) चरित्र सत्यापन

नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व और अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिये भेजे जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

18-पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु प्रक्रिया

(1)सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) से उप निरीक्षक (लिपिक)- उप निरीक्षक (लिपिक) के स्वीकृत शत् प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति से बोर्ड द्वारा ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त सहायक उप निरीक्षकों (लिपिक) में से की जायेगी, जो परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।

(2) उप निरीक्षक (लिपिक) से निरीक्षक (लिपिक)- निरीक्षक (लिपिक) के स्वीकृत शत् प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति से बोर्ड द्वारा ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त उप निरीक्षकों (लिपिक) में से की जायेगी, जो परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।

(3) सहायक उप निरीक्षक (लेखा) से उप निरीक्षक (लेखा)- उप निरीक्षक (लेखा) के स्वीकृत शत् प्रतिशत पद अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति से बोर्ड द्वारा ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त सहायक उप निरीक्षकों (लेखा) में से की जायेगी, जो परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।

(4) उप निरीक्षक (लेखा) से निरीक्षक (लेखा)- निरीक्षक (लेखा) के स्वीकृत शत् प्रतिशत पद अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति से बोर्ड द्वारा ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त उप निरीक्षकों (लेखा) में से की जायेगी, जो परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।

(5) उप निरीक्षक (गोपनीय) से निरीक्षक (गोपनीय)- निरीक्षक (गोपनीय) के स्वीकृत शत् प्रतिशत पद अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति से बोर्ड द्वारा ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त उप निरीक्षकों (गोपनीय) में से की जायेगी, जो परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।

(6) (क) उप निरीक्षक (लिपिक), उप निरीक्षक (लेखा), निरीक्षक (लिपिक), निरीक्षक (लेखा) एवं निरीक्षक (गोपनीय) के पदों के लिए चयन समिति बोर्ड द्वारा गठित की जायेगी।

(ख) समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित होगा तथा जिस पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ नहीं होगा। उपयुक्त पद का एक सदस्य विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा और समिति के शेष सदस्य विद्यमान शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेगें।

(ग) चयन समिति सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल अपनी संस्तुति सहित बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सूची विज्ञापित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।

(घ) विभागाध्यक्ष अनुमोदन के उपरान्त सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे जो प्रोन्नति हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा।

(ड़) प्रोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जैसे विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित हो, बोर्ड और उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट (Website) पर प्रदर्शित की जायेगी।

भाग-6-नियुक्ति, परिवीक्षा, प्रशिक्षण,स्थाईकरण तथा वरिष्ठता

19- नियुक्ति

(1) चरित्र सन्तोषजनक पाये जाने पर बोर्ड द्वारा अग्रसारित श्रेष्ठता सूची में अभ्यर्थियों को सूची में अपने नामों के क्रम में नियुक्त किया जायेगा।

(2) बोर्ड द्वारा नियम-18 के अन्तर्गत पदोन्नति के द्वारा नियुक्ति हेतु अनुसंशित व्यक्तियों को फीडर रैंक में उनकी ज्येष्ठता के क्रम में पदोन्नत किया जायेगा,

परन्तु यह कि पूर्ववर्ती चयन में पदोन्नत व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन में पदोन्नत व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा:

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व शासनादेश संख्याः 4907/आठ/650(4)/75 दिनांकः 09 फरवरी 1976 में वर्णित पाँच संवर्गो में, शासनादेश संख्याः 7552/आठ-क-04/66 दिनांकः 06 सितम्बर 1966 में वर्णित पद पर अथवा शासनादेश संख्याः 1447/6-पु-1-14-650(59)/02टीसी दिनांक 10 अक्टूबर 2014 में वर्णित पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से कार्यरत् हों को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी।

20-परिवीक्षा

(1) इस नियमावली के अधीन किसी भी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किए गए सेवा के किसी सदस्य की परिवीक्षा के मामलों के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे ।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग संतोषप्रद रूप से करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21-प्रशिक्षण-

(1) संवर्ग में उल्लिखित किसी पद पर सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति को ऐसे संस्थान में ऐसी रीति से ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी जैसा विभागाध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाय।

(2)विभागाध्यक्ष सेवा के सदस्यों के लिए पदोन्नति या सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अवधारित कर सकता है।

22- स्थाईकरण

(1) नियम 20 के उप नियम (1) एवं (2) के उपबन्धो के अधीन रहते हुए नियम-17 के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदिः-

(क) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ख) उसका कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक बताया जाय, और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

23-ज्येष्ठता-

सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ अवधारित की जायेगी, कि किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा।

भाग- 7- वेतन इत्यादि

24-वेतनमान-

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इन नियमावली के प्रारम्भ के समय विभिन्न श्रेणियों के अनुमन्य वेतनमान निम्नवत् हैः-

पद	पे बैण्ड	ग्रेड पे
(क) लिपिक वर्गीय संवर्ग		
1. पुलिस निरीक्षक (लिपिक)	9300-34800	4600
2. पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक)	9300-34800	4200
3. पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक)	5200-20200	2800
(ख) लेखा संवर्ग		
1. पुलिस निरीक्षक (लेखा)	9300-34800	4600
2. पुलिस उप निरीक्षक (लेखा)	9300-34800	4200
3. पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा)	5200-20200	2800
(ग) गोपनीय सहायक संवर्ग		
1. पुलिस निरीक्षक (गोपनीय)	9300-34800	4600

2. पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) 9300-34800 4200

25-परिवीक्षा अवधि में वेतन

(1) फन्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन बृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण जहा विहित हो, पूरा कर लिया हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी को संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फन्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्र्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थाई सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनयमित होगा।

26-अन्य विषयों का विनियमन-

ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों, विनियमों और आदेशों के अनुसार शासित होंगे।

27-सेवा की शर्तो में शिथिलता-

जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनयमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहॉ वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

28-व्यावृत्ति-

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका तत्समय प्रवृत्त विधि और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों हेतु विभागीय परीक्षा की प्रक्रिया

(नियम-6(1)(ख) देखें)

1. समस्त श्रेणी 'घ' के पात्र कर्मियों को (नियम-10 के साथ पठित नियम-6) टंकण परीक्षा देने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी।

2. टंकण परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों से 100 अंको की लिखित परीक्षा देने की अपेक्षा की जायेगी। लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होगें। विभागाध्यक्ष के परामर्श से लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जायेगा और रिक्तियों की अधिसूचना के साथ अधिसूचित किया जायेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक के आधार पर योग्यता सूची (Merit list) बनायी जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक समान अंक प्राप्त करते है तो उन अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो सेवा में ज्येष्ठ हो, आयु में ज्येष्ठ हो तथा फिर हाईस्कूल के प्रमाण पत्र में अग्रेजी वर्णमाला में यथा उल्लिखित प्रथम नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर।

3. बोर्ड द्वारा अधिसूचित कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये योग्यता (Merit) के अनुसार बोर्ड अभ्यर्थियों की एक चयन सूची तैयार करेगा। बोर्ड, चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति के साथ विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

4. विभागाध्यक्ष, सूची को अनुमोदित करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा जो पदोन्नति हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा।

5. पदोन्नति हेतु, चयनित अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची, विभागाध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।